छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
//मंत्रालय//
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
जिला रायपुर-492002

----000----

क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार   नवा रायपुर,, दिनांक 04/07/2023

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
(छत्तीसगढ़) ।

विषय :– सीधी भर्ती – 2023 के ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रकिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक ।

संदर्भ :– आपकी एकल नस्ती कमांक 241, दिनांक 21/06/2023

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नस्ती का कृपया अवलोकन करें ।

2/ सीधी भर्ती – 2023 के ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिका के संलग्न प्रारूप पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3/ आदेशानुसार इस मार्गदर्शिका का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु समाचार–पत्रों, नोटिस बोर्ड तथा विभाग की वेबसाईट पर किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(कुसुम कुजूर)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार   **नवा रायपुर,, दिनांक 04/07/2023**

प्रतिलिपि :–

विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित ।

हस्ता/–
अवर सचिव
छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

स्कूल शिक्षा विभाग
सीधी भर्ती – 2023
ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रारंभ होने की सूचना https://eduportal.cg.nic.in/ (स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट) पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी।
2. इसके साथ ही ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची https://eduportal.cg.nic.in/ (स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट) पर जारी की जावेगी। *Chips* द्वारा **यथासंभव** उनके मोबाइल नंबर पर (व्यापम फार्म अनुसार) *SMS* के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
3. ऑनलाईन काउंसिलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –
   - ऑनलाईन काउंसिलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाये गये अपने प्रोफाइल का **आधार वेरिफिकेशन** कराना अनिवार्य होगा।
   - अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाये गये अपने आई.डी./पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाईन काउंसिलिंग पोर्टल पर लागिन कर सकेंगे।
   - लागिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिये गये भर्ती परीक्षाओं (सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता) की जानकारी दी होगी।
   - सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रारंभ की जायेगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाईन काउंसिलिंग में भाग ले पाएंगे।
   - अभ्यर्थी द्वारा *Portal* पर *Sign in* करने दस्तावेज सत्यापन का *Round, Preferance Filling Window, Preference status, Action* प्रदर्शित होगा। *Round* का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण, *Preferance Filling Window* में ऑनलाईन काउंसिलिंग खुले रहने की अवधि, *Preference status* में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किये गये शालाओं की सूची होगी तथा *Action* में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं।
   - *Action* में *fill pref* में *enter* करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा *window* खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आई.डी., रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रर्दशित होगा। इसके नीचे दिये गये दो बाक्स में से प्रथम बाक्स में *Select your priority* के अन्तर्गत जिला एवं ब्लाक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं को चयन करेंगे जो द्वितीय बाक्स में *Your Selected priorities* के अन्तर्गत प्रदर्शित होगी।
   - अभ्यर्थी *Your Selected priorities* में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का **क्रम** अपनी पसंद अनुसार ऊपर – नीचे कर सकते हैं।

निरन्तर.......2

Scanned with OKEN Scanner

- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह *Select your priority* में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गई स्कूलों को *Software* द्वारा (पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमशः) स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जायेगा। *(उदाहरण के लिए – यदि सूची में कुल 50 स्कूल दर्शित किये गये हैं, अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद की 10 स्कूलों का चयन किया गया है तो सूची में शेष रह गई 40 शालायें Software द्वारा स्वतः ग्यारहवे क्रम से चयन कर आबंटित कर दी जायेंगी)*
- अगले *window* पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें *Priority updated on -------* अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- काऊंसिलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। **अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जायेगा।**
- यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लागिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में *Software* द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से *(Randomly)* स्कूल आबंटित कर दिया जायेगा।

4. काऊंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आबंटन प्रदर्शित होगा। जिसमें उसे आबंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को **इस आबंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा** अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
5. आबंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु **आमंत्रण पत्र** प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी **प्रिंटआउट** ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है, का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय/दिवस में किया जायेगा।
6. व्याख्याता पद के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी – संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी – संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी – संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं।
7. अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करायेंगे। पात्र – अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं *upload* किया जायेगा जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे।
8. जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिन्ट होगा जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा।

निरन्तर......3

Scanned with OKEN Scanner

9. **अपात्र अभ्यर्थी** चाहें तो अपात्र होने के 07 दिवस के भीतर अपना **दावा–आपत्ति** संचालक, लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे।
10. जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हे पत्र दिया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है, इसके पश्चात् पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जायेगी।

अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र

"मै श्री/श्रीमती/सुश्री .... इनरोलमेंट नंबर ....रोल नंबर ....यह घोषणा करता / करती हूं कि व्यापम द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट मेरे द्वारा व्यापम पोर्टल पर भरी गई जानकारी के आधार पर है। मेरे द्वारा स्वयं के विषय में दी गई सभी जानकारियां सही एवं सत्य है, यदि भविष्य में कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

मेरे द्वारा भरी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, जिसका मुझे संज्ञान है।"

दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र

आपके द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भरी गई जानकारियों को सही मानते हुये दस्तावेज सत्यापन आमंत्रण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजो के सत्यापन उपरांत अन्य सभी शर्तो के पूर्ण पाये जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत अन्य अगली प्रक्रिया जाएगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरह से अस्थायी है, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य शर्तो के अपूर्ण होने की स्थिति में अपात्र पाये जाने पर कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा।

(कुसुम कुजूर)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner